अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2022/225 RTA   रामेश्वर v/s पुष्कर नारायण

तारीख	2022/182 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर R-2,3 14-23,3 225	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री पी. इकबाल श्री C.P. पाराशर । 4A 74, 15	
	रामेश्वर वगैरह बनाम पुष्कर नारायण वगैरह (182/2022)	
01.10.24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट के निवेदन पर उनको दिनांकित 15.07.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी.पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष दिनांक 21.06.2024 को मूल वाद संख्या 03/2021 बनवानी पुष्करनारायण बनाम इन्द्रा व अन्य को खारिज कर दिया है, इसलिए अपील सारहीन हो चुकी है खारिज की जावें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष विचाराधीन मूल वाद–पत्र दिनांक 21.06.2024 को खारिज किया जा चुका है। चुंकि उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम की है, जो मूल वाद–पत्र के निस्तारण हो जाने से सारहीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। Sd/- राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	